न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः राकेश कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.)

आवेदकः—

श्री रमेश चन्द, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण / अभियुक्तगणः—

1. बनवारी लाल पुत्र श्री ऑकारमल शर्मा सेल्समेन ऑफ M/s Gujrat Co-oprative Milk Marketing Federation Ltd. (Licensee) एवं मैसर्स प्रवीण कुमार (Sub-Licensee) Milk stall प्लेट फॉर्म संख्या 1 मकराना रेलवे स्टेशन। घर का पत्ता जिला नागौर राज. 154 नायको का बास, ब्रम्हपुरी बस स्टेण्ड, जिलीया, तहसील नावां जिला नागौर।
2. श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री भंवर लाल (Sub-Licensee) Milk stall प्लेट फॉर्म संख्या 1 मकराना रेलवे स्टेशन घर का पता रतावा पोस्ट रताउ, तेहसील लाडनूं जिला नागौर राज.
3. मुरलीधर सिंधी पुत्र जैठानन्द
   जे.के. जनरल स्टोर सिनेमा गली मकराना जिला नागौर 341405
   घर का पता गेहलोत कॉलोनी बाईपास मार्ग मकराना जिला नागौर 341505 राज.
4. सुशील गुलाटी पुत्र श्री नरेन्द्र नाथ
   एस. आर. जे. एम. एंटरप्राईजेज (डिस्ट्रीब्यूटर अमूल)
   जैन धर्मशाला के पास केशरगंज अजमेर 305001 राज.
   घर का पत्ता महावीर मौहल्ला, केशरगंज वार्ड संख्या 17 अजमेर 305001 राज.
5. हरेन्द्र सिंह राठौड़ (ब्रान्च मैनेजर)
   M/s Gujrat Co-oprative Milk Marketing Federation Ltd. (Licensee) प्लॉट संख्या ई–376 सैकन्ड फैस इन्डिस्ट्रीयल एरिया वासनी जोधपुर राज. 342005
6. अशोक माथुर ब्रान्च मैनेजर
   Gujrat Co-oprative Milk Marketing Federation Ltd. Jaipur B-40 keshav path, Suraj Nagar (West) Civil Line 302006 Jaipur Raj.
7. एस.पी. देशमुख Senior Executive (Nominee)
   Kaira District Co-operative Milk producers, Union Ltd.
   Amul Dairy Road Anand Gujrat 388001
8. Gujrat Co&oprativ Milk Marketing Federation Ltd- T C@O Shah Padam Chand Mutha & Company E&376] MIA Basni Second Phase Jodhpur&342005
9. Kaira District Co&operative Milk [illegible]] Union Ltd- T Amul Dairy Road Anand Gujrat 388001

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

जीसीएमएस न.– 2023/102 प्रकरण संख्या :–13/2023

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 "

–:निर्णय :–

दिनांक :–

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री रमेश चन्द खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ.प. रेलवे, जोधपुर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.03.2016 को समय प्रातःकाल 08:00 बजे M/s Gujrat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd. (Licensee) एवं मैसर्स श्री प्रवीण कुमार (Sub-Licensee) Milk stall, प्लेट फॉर्म संख्या 1, रेलवे स्टेशन मकराना पर निरीक्षण करते हुए पहुंचा। प्लेटफॉर्म संख्या 1, रेलवे स्टेशन मकराना पर स्थित इस मिल्क स्टॉल पर श्री बनवारी लाल पुत्र श्री ओंकारमल शर्मा सेल्समेन के रूप में कार्यरत थे और यात्रियों के लिए Milk & Milk product, डेयरी बेज्ड ड्रिंक बादाम शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) आदि विक्रय कर रहे थे। मैंने श्री बनवारी लाल पुत्र श्री ओंकारमल शर्मा सेल्समेन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया और उक्त Milk stall प्लेटफॉर्म संख्या 1 रेलवे स्टेशन मकराना का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर Milk stall पर Milk product डेयरी बेज्ड ड्रिंक बादाम शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) विक्रय हेतु रखा हुआ पाया गया एवं विक्रय किया जा रहा था। Milk stall पर 60 कैन डेयरी बेज्ड ड्रिंक बादाम शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) पैक्ड अवस्था में डी–फ्रीज में विक्रय हेतु रखी हुई पायी गईं।

(2) यह कि इस सील्ड पैक डेयरी बेज्ड ड्रिंक बादाम शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) पैकेट में मिलावट का संदेह होने पर मौके पर फार्म संख्या VA पर नोटिस तैयार किया। Milk stall पर मौजूद गवाह गणपत (सफाई वाला) के हस्ताक्षर करवाये तथा सेल्समेन श्री बनवारी लाल पुत्र श्री ओंकारमल शर्मा को दिया। 60 कैन डेयरी बेज्ड ड्रिंक बादाम शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) 20 कैन (प्रत्येक केन में 200 एम.एल.) वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत सेल्समेन श्री बनवारी लाल को 600/– रूपये (अक्षरे छः सौ रूपये मात्र) नकद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर सेल्समेन श्री बनवारी लाल के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाह गणपत के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म VA एवं रसीद माल खरीद, न्य[illegible] संलग्न है।
यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिका[illegible] शुदा डेयरी बेज्ड ड्रिंक बादाम शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) [illegible] डेयरी बेज्ड ड्रिंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

बादाम शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) नमूना भाग को 4 जगह मूल अवस्था में कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी उ.प. रेलवे जयपुर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन के लिए संलग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी उ.प. रेलवे जयपुर के पत्र क्रमांक FSSA/219/JP दिनांक 06.05.2016 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया नमुना सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड है। जांच रिपोर्ट संलग्न मूल आवेदन है।

(4) यह है कि श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा निदेशक (स्वास्थ्य एवं परि.) उ.प. रेलवे जयपुर ने अपने पत्रांक FSSA/219/श्रच दिनांक 16.03.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ.प. रेलवे जोधपुर को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, जो कि न्याय निर्णयन के लिए आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि उक्त केस में सील्ड पैक डेयरी बेज्ड ड्रिंक बादाम शेकर्स (अमूल कूल ब्रान्ड) से खाद्य सामग्री विक्रय हेतु रख कर **Sub-Standard and Misbranded** पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है। अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(5) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 23.01.2024 एंव 07.03.2024 को अभियुक्त उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा, जो दिया गया। पर्याप्त समय देने के बाद भी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियुक्त के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

(6) प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एंव प्रस्तुत जवाबों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री जोधपुर के FORM B रिपोर्ट नं LS/255/Act/2016/289 दिनांक 22.03.2016 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The sample of Dairy Based Drink, Badam Shakers (Amul Kool brand) bearing Code No. and [illegible] NWR-219 of Designated Officer cum A.C.M.D. North Western Railway Jaipur is Sub-standard as it contains less quantity of Fat and Protein than declared on the label of sample and Misbranded under section [illegible] of Food Safety and Standards Act-2006.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अतः खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मिसब्राण्डेड एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 52 में निर्धारित है।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मिसब्राण्डेड एवं सब स्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर अभियुक्त संख्या 1 से 9 तक दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 52 के तहत अभियुक्त संख्या 1 से 9 तक जुर्माना राशि रुपये प्रत्येक पर 5000/–(अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा निदेशक स्वास्थ्य व परि. उ.प.रेलवे जयपुर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर अभिहित अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा निदेशक (स्वास्थ्य एवं परि.) उ०प० रेलवे जयपुर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा निदेशक (स्वास्थ्य एवं परि.) उ०प० रेलवे जयपुर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 18/12/2025 को टंकण करवाया जाकर, खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी
(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested